न्यायालय– विशिष्ठ न्यायाधीश, अजा/अजजा (अ.नि.प्र.) उदयपुर,

पीठासीन अधिकारी : ज्योति के. सोनी (आर.जे.एस.)

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

अपील प्रकरण संख्या 68/2022

सी आई एसं नम्बरः–68/2022

चतरसिंह पिता जामन्त सिंह निवासी माताजी का खेडा, गांव देबारी, उदयपुर

....अपीलांर्थी/अभियुक्त

बनाम

1. नरेन्द्रसिंह पिता झुझारसिंह चौहान निवासी 29/642, सरस्वती मार्ग, बी एन कॉलेज के सामने, उदयपुर (राज)

2. राजस्थान सरकार जरिए विशिष्ठ लोक अभियोजक

....रेस्पोडेंट/अभियोगी

अपील बनाराजगी आदेश दिनांक 03.08.2022
विशिष्ठ न्यायिक मजि. एन आई सं0–2 उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः– सुश्री अंजलि सिंह , आरजेएस
सीआईएस नम्बर 15029/15
अपराध अन्तर्गत धारा :–138 एन आई एक्ट

———

उपस्थित :–

1.श्री अशोक टॉक विद्वान अधिवक्ताः– अपीलार्थी/ अभियुक्त की ओर से
2. श्री निर्भयसिंह डूलावत विद्वान अधिवक्ताः– परिवादी की ओर से

– निर्णय– **दिनांक : 28.08.2023**

1. यह अपील अपीलार्थी चतरसिंह देवडा द्धारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 03.08.2022 से व्यथित होकर श्रीमान सेशन न्यायालय, उदयपुर में दिनांक 01.09.2022 को प्रस्तुत की गई, जहां से यह प्रकरण कालांतर में अंतरित होकर निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

2. यह दाण्डिक अपील अपीलार्थी/अभियुक्त चतरसिंह की ओर से विद्वान विशिष्ठ न्यायिक मजि0 क्रम संख्या–2 एन आई एक्ट उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.08.2022 में पारित निर्णय सीआईएस नम्बर 15029/15 में

अपीलार्थी/अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत धारा 138 एन आई एक्ट के अपराध में दोषी करार देकर धारा 138 एन आई एक्ट के अपराध में एक वर्ष का साधारण कारावास से दण्डित किया गया था तथा अपीलार्थी/अभियुक्त को आदेशित किया गया था कि वह परिवादी को बतौर क्षतिपूर्ति 9,20,000/– रूपए अदा करें। जिससे व्यथित होकर न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गयी।

3. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी नरेन्द्रसिंह ने एक परिवाद दिनांक 13.06.2013 को अभियुक्त चतरसिंह के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 138 एन आई एक्ट में इस आशय का प्रस्तुत किया कि परिवादी व अभियुक्त के मध्य अच्छी जान पहचान होने पर अभियुक्त को रूपयों की आवश्यकता होने पर अभियुक्त ने 4,60,000/– रूपए परिवादी से उधार प्राप्त किए और उक्त रकम के भुगतान बाबत् एक चैक दिनांक 18.04.2013 का दिया

4. परिवादी ने उक्त चैक को दिनांक 13.05.2013 को बैंक में प्रस्तुत किया परन्तु अभियुक्त के खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण चैक दिनांक 15.05.2013 को अनादरित होकर परिवादी को प्राप्त हो गया।

5. जिस पर परिवादी ने अभियुक्त को जरिए अधिवक्ता एक रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 21.05.2013 को उसके विधिक पते पर भिजवाया। जो कि अभियुक्त को प्राप्त हो गया। नोटिस की जानकारी के बाद भी अभियुक्त ने रकम का भुगतान नहीं किया। जिस पर उसने न्यायालय में परिवाद पेश किया।

6. इस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 14.05.2015 को अपीलार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध प्रसज्ञान लिया गया तथा अपीलार्थी /अभियुक्त को दिनांक 12.08.2016 को धारा 138 एनआई एक्ट के आरोप सारांश सुनाया व समझाया गया जिसे सुन–समझकर इंकार कर अन्वीक्षा चाही तथा न्यायालय द्वारा पी डब्ल्यू–1 नरेन्द्रसिंह की साक्ष्य लेखबद्ध की गयी तथा दि0 09.12.2016 को अभियुक्त को बयान मुलजिम से अभिमुक्ति दी गयी तथा साक्ष्य सफाई के पर्याप्त अवसर देने के बावजूद साक्ष्य सफाई पेश नहीं करने पर दिनांक 16.11.2017 को साक्ष्य सफाई बंद की गयी। न्यायालय द्वारा बहस अन्तिम सुनी जाकर दि0 03.08.2022 को निर्णय पारित किया

गया। अपीलार्थी/ अभियुक्त को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा सुनकर उपरोक्तानुसार दोषी पाकर दण्डित किया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गयी।

7. अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 03.08.2022 को निर्णय सुनाया था और दि0 03.08.23 को सजा भुगते हुए एक वर्ष का समय हो गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अदम अदायगी तीन माह की सजा दी थी उसको माफ किया जावे।

8. जबकि इसके विपरीत परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने विरोध करते हुए दौराने बहस तर्क दिया कि परिवादी ने अभियुक्त को रकम उधार दी थी जिसके बाबत् अभियुक्त ने उसे चैक दिया था। अभियुक्त के खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण चैक अनादरित हो गया। नोटिस के बावजूद भी अभियुक्त ने रकम का भुगतान नहीं किया। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्णय में किसी प्रकार की कोई भूल नहीं की है और वैध तरीके से विधि के सिद्धांतों के अनुसार निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलार्थी/अभियुक्त की अपील को खारिज किया जावे।

9. बहस उभय पक्षीय सुनी गई। पत्रावली व विधि व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् न्यायालय का मत है कि प्रकरण में यद्यपि अभियुक्त अधिवक्ता ने दोषसिद्धी के बिन्दू पर कोई बहस नहीं की परन्तु अपील मिमो में दोषसिद्धी बाबत् तथ्य उठाया गया है। अतः उक्त तथ्य को देखा जाना आवश्यक है।

10. प्रकरण के परिवादीया पी डब्ल्यू 1 नरेन्द्रसिंह चौहान जिसने की अपनी मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में परिवाद में कहे गए कथनों की पुष्टि में ही कथन कहे है और स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि परिवादी व अभियुक्त के मध्य अच्छी जान पहचान होने पर अभियुक्त को रूपयों की आवश्यकता होने पर अभियुक्त ने 4,60,000/– रूपए परिवादी से उधार प्राप्त किए और उक्त रकम के भुगतान बाबत् एक चैक दिनांक 18.04.2013 का दिया

11. परिवादी ने उक्त चैक को दिनांक 13.05.2013 को बैंक में प्रस्तुत किया परन्तु अभियुक्त के खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण चैक दिनांक 15.05.2013 को अनादरित होकर परिवादी को प्राप्त हो गया।

12. जिस पर परिवादी ने अभियुक्त को जरिए अधिवक्ता एक रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 21.05.2013 को उसके विधिक पते पर भिजवाया। जो कि अभियुक्त को प्राप्त हो गया। नोटिस की जानकारी के बाद भी अभियुक्त ने रकम का भुगतान नहीं किया। जिस पर उसने न्यायालय में परिवाद पेश किया।

13. परिवादी की ओर से चैक प्रदर्श पी–1, चैक रिटर्न मिमो प्रदर्श पी–2, नोटिस प्रदर्श पी–3, पोस्टल रसीद प्रदर्श पी–04, डाक विभाग को नोटिस डिलेवरी रिपोर्ट में संबंध में लिखा गया पत्र प्रदर्श पी–5 व प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी–06 को पेश कर प्रदर्शित कराया गया।

14. जिरह में भी उक्त गवाह इन्हीं तथ्यों की पुष्टि करता है और उल्लेख करता है कि परिवादी व अभियुक्त के मध्य लम्बे समय से जान पहचान है और इसी कारण उसने रकम उधार दी थी। उसने रकम केवल तीन माह के लिए उधार दी थी परन्तु अभियुक्त ने बाद में रकम नहीं चुकायी और फोन उठाना भी बंद कर दिया। चैक स्वयं अभियुक्त भरकर लाया था तथा चैक सिक्यूरिटी पेटे नहीं था। उसने रकम के भुगतान के लिए चैक दिया था। इस प्रकार उक्त गवाह जिरह में ऐसी कोई विरोधाभासी साक्ष्य नरहीं देता है जिससे कि यह स्पष्ट हो सके कि दोनों पक्षों के मध्य रकम का लेन देन नहीं हुआ हो और अभियुक्त ने परिवादी से रकम नहीं ली हो और उसके बदले में उसने चैक नहीं दिया हो।

15. जहॉ तक अभियुक्त अधिवक्ता के द्वारा दिया गया यह तर्क कि अभियुक्त को मूल सजा एक वर्ष की दी गयी थी जो उसने भुगत ली है और जो अदम अदायगी बाबत् सजा दी गयी है उसे माफ किया जावे तो अभियुक्त अधिवकता का उक्त तर्क उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि अपीलार्थी अभियुक्त द्वारा मूल सजा एक वर्ष की भुगतने के बाद भी क्षतिपूर्ति की कोई रकम परिवादी ने अदा नहीं की है इसलिए अदम अदायगी सजा का भुगताना उचित है और उक्त सजा को कम किया जाना किसी भी प्रकार से उचित प्रतीत नहीं होता है।

16. अपीलार्थी/अभियुक्त के अधिवक्ता का यह तर्क कि अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य का विवेचन पूर्ण रूप से नहीं किया गया तो अपीलार्थी /अभियुक्त के अधिवक्ता का उक्त तर्क उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर जो साक्ष्य थी उसका पूर्ण रूप से विवेचन करके अन्तर्गत धारा 138 एन आई एक्ट की उपधारणा के संबंध में पूर्ण रूप से विवेचन किया है।

17. अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त समस्त साक्ष्य का समग्र विवेचन करने के उपरान्त विधि अनुरूप एवं तथ्यात्मक रूप से सही निष्कर्ष निष्पादित किया है जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता है। अतः यह अपील अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है।

आ दे श

18. अतः अपीलार्थी/अभियुक्त चतरसिंह पिता जामन्त सिंह निवासी माताजी का खेडा, गांव देबारी, उदयपुर की ओर से प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीआईएस नम्बर 15029/15 में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 03.08.2022 को यथावत् रखा जाता है। अपीलार्थी– अभियुक्त का सजा पुष्टिकारक वारंट बनाया जावे।

19. अपीलार्थी केन्द्रीय कारागृह उदयपुर में अन्य प्रकरण में निरूद्ध है तथा उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को प्रोडेक्शन वारंट पर तलब किया गया। अपीलार्थी केन्द्रीय कारागृह उदयपुर से प्रोडेक्शन वारंट पर उपस्थित नहीं है इसलिए प्रोडेक्शन वारंट के साथ अपीलार्थी को सजा पुष्टिकारक वारंट केन्द्रीय कारागृह उदयपुर को सजा भुगतने हेतु भेजा जावे।

20. नकल निर्णय व पुष्टिकारक वारंट की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली संबंधित न्यायालय को अविलंब लौटाई जावे।

(ज्योति के. सोनी)
विशिष्ठ न्यायाधीश, अजा/अजजा (अ.नि.प्र.)
जिला उदयपुर।

21. आदेश आज दिनांक 28.08.2023 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(ज्योति के. सोनी)
विशिष्ठ न्यायाधीश, अजा/अजजा (अ.नि.प्र.)
जिला उदयपुर।